

डॉ० राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय, आँवला, बरेली।

दिनांक— 05.09.2024

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में सत्र 2023–24 में अध्ययनरत बी०ए०/बी०एससी० अंतिम वर्ष के समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी Aadhaar e-KYC डिजीशक्ति पोर्टल (<http://digishakti.up.gov.in>) पर अनिवार्य रूप से करा लें। जिससे उन्हें शासन द्वारा स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ मिल सके।

संलग्नक— संबंधित पत्र।

आज्ञा से,
प्राचार्य

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में सत्र 2023-24 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासन के पत्र दिनांक 27.08.2024 के क्रम में स्वामी विवेकानन्द तकनीकी सशक्तिकरण हेतु स्मार्टफोन वितरण योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को डिजीशक्ति पोर्टल पर निम्न कार्य कराया जाना अपेक्षित है तदुपरान्त ही लाभार्थियों को स्मार्टफोन/टैबलेट प्रदान किये जायेंगे। लाभार्थियों को निम्न कार्य करना है-

1. लाभार्थी द्वारा डिजीशक्ति वेबसाइट (<http://digishakti.up.gov.in>) पर उपलब्ध "e-KYC through Meri Pehchan Portal" लिंक क्लिक किया जाना होगा।
2. तदुपरान्त लाभार्थी द्वारा "Search Student Details" पेज पर अपना वांछित विवरण यथा विश्वविद्यालय एवं संस्थान का नाम तथा एनरोलमेन्ट नम्बर भरकर अपना नाम सर्च किया जाना होगा।
3. लाभार्थी का विवरण सर्च हो जाने की दशा में e-Pramaan Meri Pahchan Portal के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा निम्नवत आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा:-
 - (i) लाभार्थी द्वारा e-Pramaan Meri Pahchan Portal पर स्वयं को पंजीकृत कर e-KYC सम्पन्न किया जाना होगा।
 - (ii) लाभार्थी द्वारा अपने आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त करते हुए आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा।
4. उपरोक्तानुसार पात्र लाभार्थी का डिजीशक्ति पोर्टल पर Name, Gender एवं Date of Birth सम्बन्धी विवरण, उक्त लाभार्थी के आधार पर उपलब्ध इन विवरणों के समान होने की स्थिति में वेबसाइट के "Search Student Details" पेज पर Aadhaar e-KYC Status-Verfied प्रदर्शित होगा।
5. उक्त विवरण के सामान नहीं होने की स्थिति में वेबसाइट पर Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होगा।

Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होने की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा उपयुक्तता के आधार पर डिजीशक्ति पोर्टल अथवा आधार कार्ड विवरण में आवश्यकतानुसार संशोधन कराकर पुनः आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही करना होगा।